न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/42 **दायरा दिनांक : 08.02.2023**

उनवान

श्रीलाल पुत्र बल्देव, जाति चमार, निवासी मामली, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
.... अपीलांट

बनाम

1. श्रीया पुत्र शंकर, जाति चमार, निवासी मामली, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी.मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 144/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मामली पटवार हल्का मामली, तहसील किशनगंज, जिला बारां में खसरा नं. 210/4 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 विधि विरूद्ध एवं अन्य के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम मामली की आराजी खसरा नं. 210/4 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अपीलांट के गलत पते दर्ज कराकर गलत पते पर सम्मन नोटिस जारी किये गये जबकि अपीलांट गत 10 सालों से रमपुरिया बबिखेदा, जिला गुना मध्यप्रदेश में निवास कर रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 1 वादी द्वारा मामली का गलत पता बताकर वाद पेश किया गया तथा गलत पते पर दिनांक 23.09.2013 के लिये सम्मन जारी किया गया जो तहसील किशनगंज के तामील कुनिन्दा द्वारा गलत रूप से नाथीबाई का अंगूठा निशानी दिखाकर अपीलांट की पत्नी बताकर फर्जी तामील करवायी गयी है तथा दिनांक 23.09.2013 की गलत तामील के आधार पर दिनांक 20.01.2014 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2013 में प्रतिवादी क्रम 1/ अपीलांट की प्रोपर तामील होना नहीं मानते है। रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने के आदेश किये गये जिसके पश्चात आदेशिका दिनांक 04.03.2013 में अपीलांट/प्रतिवादी के सम्मन में अदम तामील में प्राप्त रजिस्टर्ड तलबाना पेश हुआ जिस पर रजिस्टर्ड तामील डाकिया द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्राप्त कर्ता लम्बे समय से बाहर होना बताया। वकील वादी प्रतिवादी की तलबी हेतु राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में साया करवाये जाने हेतु आदेश किये गये जिसके बाद आदेशिका दिनांक 01.04.2013 में प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील अप्राप्त वास्ते इन्तजार सम्मन में आदेशिका लिखी गई जिसके पश्चात दिनांक 07.08.2013 की आदेशिका में वकील वादी उपस्थिति प्रतिवादी की तलबी हेतु तलबाना पेश हुआ सम्मन जारी हो तथा दिनांक 23.09.2013 अंकित की गई है जबकि इससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर के अखबार साया का आदेश दिनांक 04.03.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए दिनांक 20.01.2014 को गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है व उसके आधार पर दिनांक 30.06.2015 को गलत रूप से बिना अपीलांट को प्रोपर तामील करवाये व बिना उसे विधि सम्मत सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 20.01.2014 को फर्जी तामील के आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 पारित किया गया है जो खिलाफ कानूनन होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के आधार पर खोला गया इंतकाल क्रमांक 717 दिनांक 18.07.2016 भी काबिले निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में श्रीया पुत्र शंकर, जाति चमार ने दावा पेश किया है। श्रीलाल पुत्र बलदेव, जाति चमार वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। मेरे जमीन पर धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का दावा किया है। तलबी दिनांक 23.09.2013 को जारी सम्मन पर नाथीबाई का अंगूठा बताया है। दिनांक 20.01.2014 को तामील मानकर एक्सपार्टी कर दिया जबकि दिनांक 03.01.2013 की आदेशिका के अनुसार रजिस्टर्ड तलबाने के आदेश के बाद साधारण तामील कैसे करवायी,? जबकि रजिस्टर्ड वाला लिफाफा वापस आया है। दिनांक 04.03.2013 की आदेशिका के अनुसार समाचार में साया का आदेश हुआ है, आदेश विड्रो नहीं हुआ। दिनांक 01.04.2013 की आदेशिका, दिनांक, 07.08.2013 की आदेशिका, व दिनांक 23.09.2013 को साधा तामील दी व खुद की पत्नी के नाम कराके तामील मान ली जो सही नहीं है। तामील नहीं एक्स पार्टी हुई जवाब व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। जमाबंदी संवत 2067–2070 में प्रदर्श नहीं डाले। जमाबंदी संवत 2030 का फायदा उठाकर निर्णय करवाया। 1968 का कागज बताकर 2013 में दावा पेश किया है। सरकार का जवाब

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

बन्द होना या एक्सपार्टी करना सम्पूर्ण आदेशिका में कथन नहीं किया। तामील हुई या नहीं, जवाब आया या नहीं का कोई उल्लेख नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है जो निरस्त कर रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट वादी ने दावा पेश किया। विवादित आराजी हमें 23.02.1968 को आवंटन हुई जिसकी राशि 23 रूपये 65 पैसे हमने जमा करा दिये। नियमन से पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा चला आ रहा है, आवंटन का अमल नहीं होने से अपीलांट को आवंटित हुई जबकि यह वहां के निवासी नहीं थे, कब्जा हमारा व नाम दर्ज इनका होने से दावा करना पड़ा। विधिवत तामील होने के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2014 को एक्सपार्टी हुई। राजस्थान सरकार पक्षकार थी दिनांक 05.12.2014 की आदेशिका पर जवाब देना नहीं चाहते इसी कारण जवाब बन्द किया गया। इंतकाल नं. 36 दिनांक 29.01.1976 रसीद पेश की दिनांक 08.06.2015 का मौका पर्चा पेश किया है। मेरा कब्जा इस रिपोर्ट से प्रमाणित है और आवंटियों का कब्जा भी प्रमाणित है। अपीलांट के अलावा/आवंटन के पश्चात अपीलांट का कब्जा नहीं रहा। 2015 का निर्णय है और 2023 में अपील की जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई कारण नहीं बताया, लिमिटेशन पर ही खारिज किया जाये। मध्यप्रदेश का व्यक्ति राजस्थान में आवंटन कैसे करा सकता है ?

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। प्रतिवादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के गलत पते पर सम्मन नोटिस जारी किये गये, जबकि अपीलांट गत 10 सालों से रामपुरिया बबिखेडा, जिला गुना मध्यप्रदेश में निवास कर रहा है। ग्राम मामली का गलत पता लिखकर दिनांक 23.09.2013 को सम्मन जारी किया गया जो तहसील किशनगंज के तामील कुनिन्दा द्वारा गलत रूप से नाथी बाई का अंगूठा निशानी दिखाकर अपीलांट की पत्नी बताकर फर्जी तामील करवायी गई है तथा गलत तामील के आधार पर दिनांक 20.01.2014 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2013 में प्रतिवादी क्रम 1/अपीलांट को प्रोपर तामील होना नहीं मानते हुए रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने के आदेश किये गये। आदेशिका दिनांक 04.03.2013 में अपीलांट/ प्रतिवादी के सम्मन में अदम तामील में प्राप्त रजिस्टर्ड तलबाना पेश हुआ, जिस पर रजिस्टर्ड तामील डाकिया द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्राप्तकर्ता का लम्बे समय से बाहर होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने वकील वादी को प्रतिवादी की तलबी हेतु राष्ट्रीय स्तर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

की पत्रिका में साया करवाये जाने हेतु आदेश किये गये जिसके बाद आदेशिका दिनांक 01.04.2013 में प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील अप्राप्त वास्ते इंतजार सम्मन में आदेशिका लिखी गई। दिनांक 07.08.2013 की आदेशिका में वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तलबी हेतु तलबाना पेश हुआ, सम्मन जारी हो तथा दिनांक 23.09.2013 अंकित की गई। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर के अखबार में साया का आदेश दिनांक 04.03.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए दिनांक 20.01.2014 को गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलांट को प्रोपर तामील करवाये बिना उसे विधि सम्मत सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 20.01.2014 को फर्जी तामील के आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के आधार पर खोला गया इंतकाल क्रमांक 717 दिनांक 18.07.2016 भी काबिले निरस्तनीय है।

अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 के उपरोक्त आक्षेपों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.03.2013, 01.04.2013, 20.05.2013, 07.08.2013 एवं 20.01.2014 के अवलोकन से होना पाया गया। आदेशिका दिनांक 04.03.2013 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि तामील कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्राप्त कर्ता लम्बे समय से बाहर रहता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वकील वादी को प्रतिवादी की तलबी हेतु राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में सम्मन साया कराने के आदेश दिये परन्तु इस आदेश की पालना होना नहीं पाया गया। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति का लम्बे समय से बाहर रहना बताया गया उसकी पत्नी पर मालवी के पुराने पते पर तामील होना मानकर एक तरफा कार्यवाही करना संदेह उत्पन्न करता है। अपीलांट ने अपील के साथ अपने मध्य प्रदेश के आधार कार्ड की प्रति पेश की है, जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार वाद के सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय इस संदर्भित वाद में प्रतिवादी की प्रोपर तामील होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी. पी. सी. के आर्डर 5 एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना भली भांति नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.01.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/24

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा